कार्यवृत्त नीलामी

जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण श्री जयवीर सिंह, श्री सतीश ठाकुर, श्री संदीप शाही तथा श्री इशकलाल वर्मा के चैम्बरों के बीच में खड़े तिरछे पेड़ के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के सम्मानित आदेश दिनांकित 12.07.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 18.07.2024 को सांय 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में नीलाम समिति की बैठक हुई। बैठक में श्री आलोक शर्मा, सदस्य नीलामी समिति/ अपर जिला जज कक्ष संख्या-11 सहारनपुर, श्री कमलदीप सदस्य नीलामी समिति/ अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-II सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये।

बैठक में सर्वप्रथम उपरोक्त पेड़ के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयी। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तों का माननीय जनपद न्यायधीश से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा भिन्न-भिन्न तिथियों पर विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशन करायें एवं ज़िला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी अपलोड़ करायें।

नीलामी की अग्रिम तिथि ए0डी0आर0 भवन में दिनांक 03.08.2024 नियत की जाती है।

कमलदीप 18.7.24

18/7/24

18/7/2024

(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।

(कमलदीप)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर।

(आलोक शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-11
सहारनपुर।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-03
सहारनपुर।

अनुमोदित

19.7.24

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR

नियम व शर्तें

1- नीलाम किये जाने वाले पेड़ का अवलोकन इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कर सकते हैं।

2- विभाग का कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नीलामी पेड़ को क्रय करने में भाग नही लेगा।

3- प्रत्येक बोलीदाता को अपना पहचान-पत्र फोटोयुक्त नीलामी से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

4- किसी भी उच्चत्तम बोली / अप्रर्याप्त बोली / प्रर्याप्त संख्या में बोली लगाने वालों के न होने के कारण बिना कारण बताये ठेका निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के पास सुरक्षित है।

5- बोली स्वीकृत होने के उपरान्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि नीलाम समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर एकमुश्त जमा करानी होगी। एक मुश्त धनराशि जमा न कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

6- नीलामी लेने वाला व्यक्ति किसी भी दशा में नीलामी धनराशि वापस प्राप्त नही कर सकेगा।

7- नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम अंकन 2000 (दो हज़ार) रुपये की नगद धरोहर राशि उसी दिन प्रात: जमा करानी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि छोड़कर शेष बोली बोलने वालों की धरोहर राशि नीलामी के पश्चात उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

8- ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार को करनी होगी।

9- ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।

10- अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाली बोली की धनराशि को माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

11- ठेकेदार को यदि किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

12- ठेकेदार द्वारा नीलामी के पेड़ को काटते समय यदि कोई सामान क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13- जिन बोलीदाता का ठेका स्वीकार किया जायेगा, उस बोलीदाता की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रुप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को ज़ब्त कर लिया जायेगा।

14- ठेकेदार द्वारा उसके पक्ष में नीलामी छूटने के बाद नीलाम किये गये सामान को उठाने का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

15- ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नही है।

(संजीव कुमार शर्मा) सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर।	(कमलदीप) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II सहारनपुर।	(आलोक शर्मा) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-11 सहारनपुर।	(प्रकाश तिवारी) अध्यक्ष नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-03 सहारनपुर।

19/07/2024

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR